# अनुदान संख्या 32 - आर्थिक कार्य विभाग
# GRANT No. 32 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

| | | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | | |
| स्वीकृत– | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 9081,35,00 | | 9199,72,00 | 7612,68,73 | -1587,03,27 |
| पूरक | Supplementary | 118,37,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 1477,50,28 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | | |
| स्वीकृत– | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 58961,08,00 | | 58961,13,00 | 6850,79,38 | -52110,33,62 |
| पूरक | Supplementary | 5,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 50953,24,11 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹158703.27 लाख) दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹11837.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹158703.27 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹11837.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and constituted 17 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं | Major Head "2052" Secretariat-General Services | | | | |
| मू. | O. | 8103.00 | | | |
| पू. | S. | 660.00 | 8230.87 | 8013.65 | -217.22 |
| पु. | R. | -532.13 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं | Major Head "2047" Other Fiscal Services | | | | |
| मू. | O. | 1320.00 | 1262.90 | 1211.98 | -50.92 |
| पु. | R. | -57.10 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं | Major Head "2070" Other Administrative Services | | | | |
| मू. | O. | 1215.00 | | | |
| पू. | S. | 449.00 | 1522.87 | 1381.93 | -140.94 |
| पु. | R. | -141.13 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | Major Head "2235" Social Security and Welfare | | | | |
| मू. | O. | 100010.00 | 12005.00 | 12000.00 | -5.00 |
| पु. | R. | -88005.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं | Major Head "3075" Other Transport Services | | | | |
| मू. | O. | 360389.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 302123.00 | 292313.72 | -9809.28 |
| पु. | R. | -58267.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | Major Head "3475" Other General Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 27264.00 | | | |
| पू. | S. | 9173.00 | 36387.33 | 36066.19 | -321.14 |
| पु. | R. | -49.67 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग | Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with Other Countries | | | | |
| मू. | O. | 4300.00 | | | |
| पू. | S. | 1165.00 | 4694.55 | 4287.42 | - 407.13 |
| पु. | R. | -770.45 | | | |

(I) ₹79.50 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹79.50 lakhs remained wholly unutilised under ten heads.

(II) मुख्य शीर्ष "3605" "अन्य व्यय - एशियाई विकास बैंक की (46वीं) वार्षिक आम सभा के आयोजन संबंधी व्यय" के अंतर्गत ₹838.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹762.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1600.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1204.91 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) एशियाई विकास बैंक के शासक बोर्ड की 46वीं वार्षिक सभा के लिए सेवा प्रदाता सुनिश्चित न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3605" – "Other Expenditure - Expenditure towards organizing (46th) Annual General Meeting of the ADB" – the original provision of ₹838.00 lakhs was augmented to ₹1600.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹762.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1204.91 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of service providers for the 46th Annual Meeting of Board of Governors of ADB.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - आर्थिक कार्य विभाग" - ₹7297.25 लाख के मूल प्रावधान को ₹660.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7957.25 लाख कर दिया गया जो, तथापि, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं आयात-निर्यात बैंक से आर्थिक सम्मेलनों के लिए प्रायोजकता उपलब्ध होने, स्थापना संबंधी बकाया राशि के बिल कम प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने कारण ₹299.52 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2052"- "Secretariat - Department of Economic Affairs" – the original provision of ₹7297.25 lakhs was augmented to ₹7957.25 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹660.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹299.52 lakhs - due to availability of sponsorship for Economic Conferences from State Bank of India, Indian Overseas Bank and Exim Bank, receipt of less arrear bills towards establishment and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" -

(क) "विशेष जांच आयोग - चौदहवां वित्त आयोग" - ₹300.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹289.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹589.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, वेतन और भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण ₹147.70 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "अन्य व्यय - प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण" - ₹404.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹160.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹564.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, चिकित्सा, कार्यालय व्ययों एवं आईटी-अन्य प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹87.88 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "जी-20 सचिवालय" - ₹185.10 लाख की बचत (₹540.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय आवास को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "मुद्रा निदेशालय" - ₹264.73 लाख की बचत (₹265.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुद्रा निदेशालय को समाप्त किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2047" - "अल्प बचतों की अभिवृद्धि - राष्ट्रीय बचत संस्थान" के अंतर्गत ₹103.84 लाख की बचत (₹1293.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "2070"-

(a) "Special Commission of Enquiry - Fourteenth Finance Commission" – the original provision of ₹300.00 lakhs was augmented to ₹589.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹289.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹147.70 lakhs- due to requirement of less funds towards pay and allowances and economy measures.

(b) "Other Expenditure – Security Appellate Tribunal" – the original provision of ₹404.00 lakhs was augmented to ₹564.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹160.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹87.88 lakhs – due to requirement of less funds towards medical, office expenses and IT – other charges.

(IV) Under Major Head "2052" – "Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(A) "G-20 Secretariat" - saving of ₹185.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹540.50 lakhs) was due to non-finalisation of office accommodation and economy measures.

(B) "Directorate of Currency"- saving of ₹264.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹265.25 lakhs) was due to winding-up of Directorate of Currency.

(V) Under Major Head "2047" – "Promotion of Small Savings – National Savings Institute" – saving of ₹103.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1293.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances and economy measures.

(VI) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण - असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि" के अतंर्गत ₹88000.00 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2235"- "Other Social Security and Welfare Programmes – Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts - National Social Security Fund for Unorganized Sector Workers" – saving of ₹88000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to non-finalisation of schemes.

(VII) मुख्य शीर्ष "3075" - "अन्य - लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता - रेलवे को अदायगी" के अंतर्गत ₹71775.28 लाख की बचत (₹300389.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3075" - "Others – Subsidy to Railways towards dividend relief - Payment to Railways" – saving of ₹71775.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300389.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards subsidy to Railways for dividend relief.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VIII) Under Major Head "3475"- savings occurred under the following heads:-

(का) "बट्टे खाते डाले गए वसूल न किए जा सकने योग्य कर्जे - सेशल्स गणराज्य को कर्जों की माफी - ₹166.69 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹335.32 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेशल्स की सरकार को कर्ज की माफी के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Irrecoverable Loans Written Off - Waiver of Loans to Republic of Seychelles" - saving of ₹166.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹335.32 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to requirement of less funds by Exim Bank of India towards waiver of loan to the Government of Seychelles.

(खा) "अन्य व्यय - भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण" - ₹106.51 लाख की बचत (₹925.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - Training of Indian Economic Service Officers" - saving of ₹106.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹925.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards training of Indian Economic Service Officers.

(IX) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹94.68 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थी।

(IX) Under one head saving of ₹94.68 lakhs occurred constituting 25 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3699.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3075" - "अन्य - लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता - सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों के प्रचालन पर रेलवे को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति" के

2. The above savings were partly (₹3699.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3075"- "Others –

अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

Subsidy to Railways towards dividend relief - Reimbursement of losses to Railways on operating strategic Railway lines".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "4046" मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4046" Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint | | | | | |
| मू. | O. | 164535.00 | | | | |
| पु. | R. | -64535.00 | | 100000.00 | 100000.00 | .. |
| मुख्य शीर्ष "4075" विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services | | | | | |
| मू. | O. | 300.00 | | | | |
| पू. | S. | 1.00 | | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -301.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | Major Head "5465" Investment in General Financial and Trading Institutions | | | | | |
| मू. | O. | 40000.00 | | | | |
| पू. | S. | 1.00 | | 100.00 | 100.00 | .. |
| पु. | R. | -39901.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "5466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश | Major Head "5466" Investment in International Financial Institutions | | | | | |
| मू. | O. | 5646888.00 | | | | |
| पू. | S. | 1.00 | | 459388.80 | 447552.88 | -11835.92 |
| पु. | R. | -5187500.20 | | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 44385.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 46004.27 | 45963.58 | - 40.69 |
| पु. | R. | 1618.27 | | | |
| मुख्य शीर्ष "7475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | Major Head "7475" Loans for Other General Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 1.00 | | | |
| | | | 195295.82 | 91462.92 | -103832.90 |
| पु. | R. | 195294.82 | | | |

(I) ₹5645301.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पांच मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹5645301.00 lakhs remained wholly unutilised in five cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4075" - "अन्य व्यय - बजट प्रेस के लिए मशीन की खरीद" - ₹301.00 लाख (दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मशीनरियों के लिए खरीद प्रक्रिया पूरी न होने के कारण थे।

(A) Major Head "4075" - "Other Expenditure - Purchase of Machine for Budget Press" – ₹301.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012)- due to non-completion of purchase process for machineries.

(खा) मुख्य शीर्ष "5465" - "व्यापारिक संस्थाओं में निवेश - सार्वजिनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड" - ₹40000.00 लाख भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड में निवेश की आवश्यकता न होने के कारण थे।

(B) Major Head "5465" – "Investment in Trading Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Security Printing and Minting Corporation of India Ltd. (SPMCIL)" -₹40000.00 lakhs - due to non-requirement of Investment in SPMCIL.

(गा) मुख्य शीर्ष "5466" - "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष" -

(C) Major Head "5466"- "International Monetary Fund" -

(क) "भारतीय मुद्रा कोष के अग्रणी संसाधनों के लिए भारत का अंशदान - ₹5000.00 लाख भारतीय मुद्रा कोष के अग्रणी संसाधनों के लिए भारत के अंशदान के लिए आवश्यकता न होने के कारण थे।

(a) "India's contribution towards lending resources of IMF" - ₹5000.00 lakhs - due to non-requirement towards India's contribution towards lending resources of IMF.

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों में)" - ₹4200000.00 लाख; और

(b) "Subscription to International Monetary Fund (In Securities)"- ₹4200000.00 lakhs; and

(ग) "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (रोकड़ में)" - ₹1400000.00 लाख।

(c) "Subscription to International Monetary Fund (In Cash)"- ₹1400000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों/रोकड़ में) के लिए आवश्यकता न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-requirement towards subscription to International Monetary Fund (IMF) (In Securities/Cash).

(II) मुख्य शीर्ष "4046" - "भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद - सिक्के" के अंतर्गत ₹64535.00 लाख की बचत (₹164535.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्कों की लागत को भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के परामर्शदाताओं द्वारा ज्ञात की गई लागत पर सीमित किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4046"- "Purchase of Coins from SPMCIL - Coins"- saving of ₹64535.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹164535.00 lakhs ) was due to restricting the cost of coins to the cost worked out by the consultants of Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL).

(III) मुख्य शीर्ष "5475" - "अन्य व्यय - भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि" के अंतर्गत ₹323.80 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जयपुर मेट्रो, दिल्ली जल बोर्ड और कर्नाटक में तडाडी पत्तन जैसी परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5475"- "Other Expenditure - India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF)" - saving of ₹323.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards projects like Jaipur Metro, Delhi Jal Board and Tadadi Port in Karnataka.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹97.62 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 75 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹97.62 lakhs occurred constituting 75 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹202474.32 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक

4.(I) The above savings were partly (₹202474.32 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of

अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "5465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय वित्तीय धारिता कम्पनी लिमिटेड" - ₹99.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "5466"-

(क) "अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में निवेश - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अभिदान"- ₹2138.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2137.90 लाख था।

(ख) "एशियाई विकास बैंक में निवेश"-

(i) "एशियाई विकास बैंक को अभिदान (प्रतिभूतियों में)" - ₹2044.58 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2044.57 लाख था।

(ii) "एशियाई विकास बैंक को अभिदान (रोकड़ में)"- ₹898.12 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "5475" - "अन्य व्यय - अवसंरचना विकास के लिए सहायता - व्यवहार्यता अंतर निधीयन" - ₹1999.00 लाख।

(घा) मुख्य शीर्ष "7475" - "अन्य कर्जे - उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कर्ज - ₹195294.82 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹91461.92 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5466" - "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष - मूल्य दायित्व को बनाए रखना" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹400542.13 लाख का अधिक व्यय (दिसम्बर,2012 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख

₹4.00 lakhs in December, 2012 and March, 2013 under the following major heads:-

(A) Major Head "5465" – "Investments in General Financial Institutions – Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Financial Holdings Company Ltd.(NFHCL)"- ₹99.00 lakhs.

(B) Major Head "5466"-

(a) "Investment in the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – Subscription to the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)"- ₹2138.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹2137.90 lakhs.

(b) "Investment in the Asian Development Bank" –

(i) "Subscription to Asian Development Bank (In Securities)"- ₹2044.58 lakhs. Actual excess, however, was ₹2044.57 lakhs.

(ii) "Subscription to Asian Development Bank (In Cash)"- ₹898.12 lakhs.

(C) Major Head "5475" – "Other Expenditure - Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding"- ₹1999.00 lakhs.

(D) Major Head "7475"- "Other Loans - Loans to IMF under New Arrangements to Borrow (NAB)"- ₹195294.82 lakhs. Actual excess, however, was ₹91461.92 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5466" - "International Monetary Fund - Maintenance of Value (MoV) obligation"- excess of ₹400542.13 lakhs (against the total

के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मूल्य के रख रखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

sanctioned provision of ₹1.50 lakh including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2012) was due to requirement of additional funds towards Maintenance of Value (MoV) to International Monetary Fund (IMF).